402

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–टीकमगढ़ R 4056- I-16

पंकज पुत्र श्री सीता राम श्रीवास्तव
निवासी– शिवनगर कालौनी टीकमगढ़ (म.प्र.)

––आवेदक

विरूद्ध

1– पुष्पा देवी पत्नी श्री रामसिंह यादव
2– रामसिंह पुत्र स्व श्री मातादीन् यादव
निवासीगण – 147 मसीहागंज सीपरी बाजार झांसी (उ.प्र.)
3– शेख साजिद पुत्र श्री शेख शहीद
निवासी –शेखो का मोहल्ला टीकगमगढ़ (म.प्र.)
4– कृष्णपाल सिंह परमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह परमार
निवासी – मामौन दरवाजा टीकमगढ़
5– अरूणा सुरोटिया पत्नी संजय सिरोटिया
निवासी – ताल दरवाजा टीकमगढ़ (म.प्र.)
6– मनोज कुमार पुत्र राम सिंह यादव
निवासी – रेलवे क्वॉटर आर.बी–2 रानी लक्ष्मीबाई नगर झांसी (उ.प्र.)
7– श्रीमती अनीता यादव पत्नी ग्याप्रसाद यादव पुत्री रामसिंह यादव
निवासी – मसीहागंज सीपरी बाजार झांसी (उ.प्र.)
8– सीमा यादव पत्नी जाहरसिंह यादव पुत्र रामसिंह यादव
निवासी – इन्दरगण कुईकुआं जिला दतिया (म.प्र.)
9– श्रीमती दिनेश यादव पत्नी करन सिंह यादव पुत्री श्री रामसिंह यादव
निवासी – आवास विकाश कालौनी केकेपुरी नंदनपुरा झांसी (उ.प्र.)

–– अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 162/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 26.11.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय, द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर किये बिना जो आदेश पारित किया है वह नितान्त अवैध अनुचित एवं अधिकारिता रहित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा आवेदक सुनवाई का अवसर न दिये बिना जो आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध है। तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ के पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 04.05.2016 के विरूद्ध अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी थी। कि आवेदक द्वारा भूमि क्रय किये जाने के संबंध में जो चेंक उन्हे प्रदान किया था। वह बाउंस हो गया है और उन्हे चेको की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इसलिये नामान्तरण आदेश निरस्त किया जाये। जबकि वास्तविकता यह है कि नामान्तरण के समय उक्त संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उक्त आपत्ति नहीं ली जा सकती थी। और न ही उक्त आपत्ति के आधार पर आदेश पारित किया जा सकता था। इस तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है।
5. यहकि, विक्रय पत्र के आधार पर चुनौती देने का अथवा विक्रय पत्र को अवैधानिक बताने का अथवा विक्रय पत्र की वैधता के संबंध में जाँच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है अपास्त किये जाने योग्य है।
6. यहकि, उपरोक्त प्रकरण में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.11.2015 सम्मलित रूप से पंकज श्रीवास्तव, शेख साजिद, कृष्णपाल सिंह परमार, अरूणा सिरौठिया द्वारा क्रय की गयी थी। और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर सभी क्रेताओ विधिवत् नामान्तरण किये गये थे। ऐसी स्थिति मे केवल पंकज पुत्र सीताराम श्रीवास्तव का नामान्तरण निरस्त किया जाना का कोई औचित्य नहीं था। क्योंकि समान विक्रय पत्र के आधार पर समान नामान्तरण किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति मे अपीलीय न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4056-एक/2016 जिला टीकमगढ़

पंकज विरूद्ध पुष्पादेवी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 162/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-11-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर टीकमंगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 18/03/19 सदस्य	